

e-Challan

Registration and Stamps department Government of Rajasthan

GRN: 0096544974



Payment Date: 06/11/2024 20:17:52

Office Name: SUB REGISTRAR REGISTRATION & STAMPS, KOTA

Location: KOTA

Period: 01/01/2012-To-06/11/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	650.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 650.00

Six Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Akbar ali,mehandi hussain,hashim,jamin hussain etc

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode):

kota(324008)

Address:kota

Remarks:Sanjay patodi ADVOCATE
for Search Fee

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No: SBIN9654497406112024

Date: 06/11/2024 20:17:52

Refrence No: CK00ESTUJ2

Computer generated copy on : 06/11/2024

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Ref. No. : ADV/03/2024

Date : 06.11.2024

To

Registrar (RERA)

2nd and 3rd Floor, RSIC Building,

Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,

Jaipur, Rajasthan

Sub : Title search report of Residential Property Project “**Burhani Park II**” for Registration Certificate of Project under RERA, Act. 2016 in respect of Residential converted Land **Khasra No. 492 Area 0.24 Hec. in to 0.16 Heq., Khasra No. 493 Area 2.03 Hec. in to 1.64 Hec. Total Area 1.80 Hec. (18000 Sq. Meter) situated at Village Ramnagar, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj.**

BRIEF HISTORY OF TITLE : -

Initially Khasra No. 492 Area 0.24 Hec. in to 0.16 Heq., Khasra No. 493 Area 2.03 Hec. in to 1.64 Hec. Total Area 1.80 Hec. situated at Village Ramnagar, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj. is belongs to **Akbar Ali S/o Taiyab Ali, Mehandi Hussain S/o Sh. Taiyab Ali, Hashim S/o Akbar Ali, Jamin Hussain S/o Mulla Mohsin, Safdar Hussain S/o Mulla Mohsin, Abbas Ali S/o Taiyab Ali, Taiyab Ali S/o Hatim Ali, Mustfa S/o Taiyab Ali, Hussain S/o Gajhar Hussain, Sabbir Hussain S/o Mulla Fateh Ali**

Then **Akbar Ali S/o Taiyab Ali, Mehandi Hussain S/o Sh. Taiyab Ali, Hashim S/o Akbar Ali, Jamin Hussain S/o Mulla Mohsin, Safdar Hussain S/o Mulla Mohsin, Abbas Ali S/o Taiyab Ali, Taiyab Ali S/o Hatim Ali, Mustfa S/o Taiyab Ali,**

Sanjay Patodi
Advocate
KOTA (RAJASTHAN)

Hussain S/o Gajhar Hussain, Sabbir Hussain S/o Mulla Fateh Ali executed a Registered General Power of Attorney in favor of Sh. Murtja S/o Sh. Jafar Ali Registered In SRO Kota –I S.No. 02403123000001 On Dated. 04-01-2024.

They were decided to develop a residential colony in their land and then they surrender this land to UIT, Kota. On application, UIT, Kota converted the said land under section 90-A Rajasthan Land Revenue Act, 1956 by conversion order No. 142-145 dt. 18.04.2016

Thereafter UIT, Kota issued a Layout plan with approved Map No. 619 dt. 20.02.2024 for residential purpose and issued a proposed site plan.

After getting of approval plan and layout plan from UIT, Kota they are developed a township scheme knows as “**BURHANI PARK II**”.

I, further certify that **Akbar Ali S/o Taiyab Ali, Mehendi Hussain S/o Sh. Taiyab Ali, Hashim S/o Akbar Ali, Jamin Hussain S/o Mulla Mohsin, Safdar Hussain S/o Mulla Mohsin, Abbas Ali S/o Taiyab Ali, Taiyab Ali S/o Hatim Ali, Mustfa S/o Taiyab Ali, Hussain S/o Gajhar Hussain, Sabbir Hussain S/o Mulla Fateh Ali** has a valid and marketable title/right in the property and land is free from any encumbrances, charges, lien and attachment.

Search Receipt No. 0096544974 date. 06.11.2024 at Sub Registrar Kota herewith for ready reference.

Date : 06.11.2024

Place : Kota


Sanjay Patodi
Advocate
KOTA (RAJASTHAN)

Sanjay Patodi, Advocate

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा

प्रकरण संख्या एफ-15/कृ.भूरू./90-ए/2016/307

(1) अकबर अली पुत्र तैय्यबअली (2) मेहन्दी हुसैन पत्र तैय्यबअली (3) हाशिम पुत्र अकबर अली (4) जामिन हुसैन पुत्र मुल्लामोहसिन (5) सफदर हुसैन पुत्र मुल्लामोहसिन (6) अब्बासअली पुत्र तैय्यबअली (7) तैय्यबअली पुत्र हातीमअली (8) मुस्तफा पुत्र तैय्यबअली (9) हुसैन पुत्र गजहर हुसैन (10) शब्बीर हुसैन पुत्र मुल्ला फतेहअली जाति बोहरा मुसलमान निवासी टिपटा कोटा राजस्थान।

--- बनाम ---

नगर विकास न्यास, कोटा।

विषय :- ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.24 है० मे से० 0.16 है०, खसरा नम्बर 493 रकबा 2.03 है० मे से 1.64 है० कुल किता 2 रकबा 2.27 है० मे से 1.80 हैक्टर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करने बाबत।

--- आदेश ---

(अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क)

दिनांक :- अप्रैल, 2016

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :-

(1) खातेदारान् (1) अकबर अली पुत्र तैय्यबअली (2) मेहन्दी हुसैन पत्र तैय्यबअली (3) हाशिम पुत्र अकबर अली (4) जामिन हुसैन पुत्र मुल्लामोहसिन (5) सफदर हुसैन पुत्र मुल्लामोहसिन (6) अब्बासअली पुत्र तैय्यबअली (7) तैय्यबअली पुत्र हातीमअली (8) मुस्तफा पुत्र तैय्यबअली (9) हुसैन पुत्र गजहर हुसैन (10) शब्बीर हुसैन पुत्र मुल्ला फतेहअली जाति बोहरा मुसलमान निवासी टिपटा कोटा राजस्थान द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया गया।

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र (हैक्टर मे)
1-	2-	3-	4-
तहसील लाडपुरा जिला कोटा	रामनगर	492	0.24 है० मे से 0.16 है०
		493	2.03 है० मे से 1.64 है०
	योग :-	कुल किता 2 रकबा	2.27 है० मे से 1.80 है०

(हस्ताक्षर)

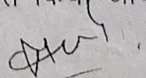
आवेदकों ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति सम्बर् 2072-75, खाता संख्या 3, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। परीक्षण के उपरान्त लोकसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27.11.2015 को करवाया गया। प्रसारित सार्वजनिक लोकसूचना के उपरान्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रस्तुत आवेदन पत्र के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप प्रपत्र-6 में रिपोर्ट हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा को पत्र क्रमांक एफ-15/कृ.भूरू./90-क/2015/113 दिनांक 24.11.2015 लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार न्यास के पत्र दिनांक 30.03.2016 के द्वारा प्रपत्र-6 में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें तहसीलदार न्यास द्वारा आवेदित आराजी का विवरण अंकित करते हुए आवेदित आराजी गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने की अनुशंसा की है।

(4) इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप प्रपत्र-8 में रिपोर्ट प्राप्ति हेतु श्रीमान् सचिव महोदय को पत्र क्रमांक एफ-15/कृ.भूरू./90-क/2015/112 दिनांक 24.11.2015 लिखा गया। उक्त पत्र के जवाब में उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा का पत्र क्रमांक एफ-7/डी.टी.पी./16/340 दिनांक 29.03.2016 ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.24 है० में से 0.16 है०, खसरा नम्बर 493 रकबा 2.03 है० में से 1.64 है० कुल कित्ता 2 रकबा 2.27 है० में से 1.80 हैक्टर की सहमति रिपोर्ट प्रारूप-8 प्राप्त हुई। जिसके बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "संदर्भित भूमि का भू-उपयोग प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित है आवेदन भी आवासीय हेतु किया है, तदनुसार 90-क के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है।

प्रश्नगत भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के लिए 90-क के तहत अनुज्ञा प्रदान करने के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास कोटा से पत्र क्रमांक एफ-15/कृ.भूरू./90-क/2015/115 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 तथा तहसीलदार लाडपुरा कोटा से पत्र क्रमांक एफ-15/कृ.भूरू./90-क/2015/116 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट/राय/आक्षेप तथा वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा से पत्र क्रमांक एफ-15/कृ.भूरू./90-क/2015/117 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के द्वारा न्यायालय में लम्बित वाद/विवाद की रिपोर्ट अन्दर मियाद 7 दिवस की अवधि में प्राप्त करने हेतु लिखा गया। उक्त विभागों द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने की नियत अवधि के उपरान्त भी अब तक कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया गया। आक्षेपों के अभाव में यह मानते हुये कि इन विभागों को प्रश्नगत भूमि की 90-क के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति/आक्षेप नहीं है।

(5) अतः प्रकरण के परीक्षण उपरान्त आदेश दिया जाता है कि ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.24 है० में से 0.16 है०, खसरा नम्बर 493 रकबा 2.03 है० में से 1.64 है० कुल कित्ता 2 रकबा 2.27 है० में से 1.80 हैक्टर भूमि पर आवेदकों के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख



सं उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदकों/आवेदकों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, नगर विकास न्यास, कोटा पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समक्षा जायेगा।

(6) आवेदकों द्वारा प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(7) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदकों द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक अप्रैल, 2016 को पारित किया गया।

51.

(मुरलीधर प्रतिहार)

आर.ए.एस

प्राधिकृत अधिकारी (उपसचिव-प्रथम)

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक एफ-15/कृ.भू.रू./90-क/2016/142-145 दिनांक 18 अप्रैल, 2016

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. सचिव नगर विकास न्यास, कोटा।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा।
3. तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा को उपरोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसकी प्रति भेजने के लिए।
4. खातेदारान् (1) अकबर अली पुत्र तैय्यबअली (2) मेहन्दी हुसैन पुत्र तैय्यबअली (3) हाशिम पुत्र अकबर अली (4) जामिन हुसैन पुत्र मुल्लामोहसिन (5) सफदर हुसैन पुत्र मुल्लामोहसिन (6) अब्बासअली पुत्र तैय्यबअली (7) तैय्यबअली पुत्र हातीमअली (8) मुस्तफा पुत्र तैय्यबअली (9) हुसैन पुत्र गजहर हुसैन (10) शब्बीर हुसैन पुत्र मुल्ला फतेहअली जाति बोहरा मुसलमान निवासी टिपटा कोटा राजस्थान।

13/4/16

(मुरलीधर प्रतिहार)

आर.ए.एस

प्राधिकृत अधिकारी (उपसचिव-प्रथम)

नगर विकास न्यास, कोटा

सरकार परत

क्रमांक :

						2	
--	--	--	--	--	--	---	--

नामान्तरकरण प्रपत्र (प-२१-ग)

[illegible][illegible]

(16-क) पटवारी की जाँच रिपोर्ट

मुलाबिद रिजिस्ट्रेशन ऑफिस पर्यावरण तारीख तबित पदवारी का नाम एवं हस्ताक्षर संजीव कुमार मावत
दि. 27-4-16

(४६-४७) मृ. अ. निरिक्षण की जाँच रिपोर्ट

सदीय ज्ञा. मरि. (अ. सचि. - उपर) U.I.T कोर

(16-अ) विनिश्चित करने वाले अधिकारी का आदेश (बीरा)

के सादेव) उका 142-145 130 18/11/18
लुत करने की तारीख) से 90-5 अगेवाम 15/11/18

(18) विनिश्चित करने वाले अधिकारी का आदेश (बीरा)

आदेश (बयौरा) 90-6 अतिरिक्त

विनिश्चय के पश्चात् जमाबन्दी में प्रविष्ट करने के लिए समस्त संगोपित / भये छाते-

क्र.	संक्षेपित / नाम आवास संख्या (यदि सुविधाई आवास संख्या में कोई परिवर्तन हो)	नामान्वयक पद्धतियों से प्रभावित प्रतिष्ठितों और क्षेत्र प्रतिष्ठितों का ब्योरा	अवास संख्या	सोपान	मृत्ति का प्रकार	घर-घर आवास की अन्य संख्या (मिली ममी पिपर की मई है।)	राजस्व
17	18	19	20	21	22	23	24
नगर विकास	157	नगर विकास आवास क्षेत्र (90-75)	493	0.16	दानासम		
			493	1.64	आनासीम		
			मिना 2	1.80	आनासीम		
		अकबर अली पुत्र सैयदब खली मेहरा हुसैन पुत्र सैयदब अली इशिम पुत्र अकबर अली जमिन हुसैन पुत्र मुल्ता मोहम्मद खकूर हुसैन पुत्र मुल्ता मोहम्मद खकूर अली पुत्र सैयदब अली, सैयदब अली पुत्र हलीम अली मुस्तफा पुत्र सैयदब अली हुसैन पुत्र गजदर हुसैन शकीर हुसैन पुत्र मुल्ता फतेह अली जमिन मेहरा मुख्तयान मिह रिपर मेहरा	492	0.08	नदी प्रवाह	2.56	
			493	0.39		12.48	
			मिना 2	0.47	नदी प्रवाह	14.94	

25. रिहोर्स परराज को तहसील में प्राप्त की दिनांक

पटवार्दी का नाम हरताशर तथा सारीज

पद्मावती का नाम इत्यादि	आर.पी.जी. को नाम देना
समा सारीख	समा सारीख
(पवित्र कर्म के नाम)	(पवित्र कर्म के नाम)
पवित्र कर्म	पवित्र कर्म

26. लक्ष्मणभूट में प्रविष्टि की दिशाएं

[illegible]

27 ऑफिसर कानूनमते द्वारा सम्बन्धित प्रविष्टि को अनुमानित की जाती है।

आविष्कार कायूनको का नाम, उन्ना/स
उन्ना सारीय

E-CHALLAN (Manual Payment)
Government Of Rajasthan
Registration and Stamps department

Valid Upto:- 31/03/2024 Remitter's Copy

GRN :- **84220557** Date:- 03/01/2024 3:04:00 PM

BarCode:- 
Office Name:- **SUB REGISTRAR REGISTRATION & STAMPS, KOTA**
Location:- **KOTA**
Year: 03/01/2024 To 31/01/2024

Head(0030)	Amount	₹
0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक	572,380.00	
0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	57,238.00	
0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्ष	57,238.00	
0030-02-800-04-00-प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	57,238.00	
0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	67,400.00	

Discount :- ₹ 0.00
Total/Net Amount:- ₹ 811,494.00

Eight Lakh Eleven Thousand Four Hundred Ninety Four Rupees and Zero Paise Only

Payee Detail

TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId/Lease No:-

PAN No.:-

Remitter Name:- **MURTAZA ALI**

Address:- **KOTA KOTA- 324002**

Remarks:

GPA

DIIG Stamp **Ratg Case No 02/2024**
FOR USE IN RECEIVING BANK

Cheque-DD-No.:

Bank CIN No:-

Bank **SBI AnyWhere**

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KOTA-I

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 04-01-2024 12:18 PM

Fee Receipt No	: 202402123000315	Receipt Date	: 04/01/2024
Name	: SHRI MURTJA S/O JAFAR ALI	Document S. No.	: 202403123000001
Address	: KHASRA NO 492 AND 493 MAIN SE RAKBA 1.8 HECT GRAM RAMNAGAR TESHIL LADPURA DIST KOTA RAJ		
Document Type	: Recovery of old Documents		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 171714	Stamp Duty	: ₹ 572380
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 67400
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 811494
		Total Amount	: ₹ 811494

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 84220557 ₹ 811494

Case no :	2/2024	Decision Date :	03-01-2024	DIG/ADM Name :	Dy. Inspector General,
Sub Registrar :	KOTA-I				KOTA

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



राजस्थान RAJASTHAN

AB 907565

—: मुख्तार मोमो आम —

हमार्फे—

1-अकबर अली उम्र 75 वर्ष वल्द श्री तैय्यब अली, 2-मेहंदी हुसैन उम्र 68 वर्ष वल्द तैय्यब अली, 3-हाशिम उम्र 48 वर्ष वल्द अकबर अली जाति बोहरा मुसलमान निवासीगण कोजर निवास, गढ पावर हाउस के पास, टिपटा, कोटा राजस्थान, 4-जामिन हुसैन उम्र 64 वर्ष, 5-सफदर हुसैन उम्र 61 वर्ष पुत्रान मुल्ला मोहसिन हुसैन जाति बोहरा मुसलमान निवासीगण अमातुल्ला मंजिल, बोहरा मोहल्ला, टिपटा कोटा, 6-अब्बास अली उम्र 64 वर्ष आत्मज श्री तैय्यब अली जाति मुसलमान बोहरा निवासी बुरहानी नगर, टिपटा, कोटा राजस्थान, 7-मुस्तफा अली उम्र 56 वर्ष पुत्र तैय्यब अली जाति बोहरा मोहल्ला निवासी सर्राफा बाजार, बांरा राजस्थान 8-तैय्यब अली आयु 57 वर्ष आत्मज शेख हातिम अली जाति मुसलमान बोहरा निवासी गुलजार मेशन, बोहरा मोहल्ला, टिपटा, कोटा 9-हुसैन उम्र 38 वर्ष वल्द मजहर अली जाति मुसलमान निवासी आईसीआईसीआई बैंक के पास, टिपटा कोटा, 10-शब्बीर हुसैन उम्र 65 वर्ष पुत्र मुल्ला फतेह अली जाति बोहरा मुसलमान निवासी बोहरा मोहल्ला, झालरापाटन जिला झालावाड, राजस्थान के है।



हस्ताक्षर मुकिरान

....2

26/4/20

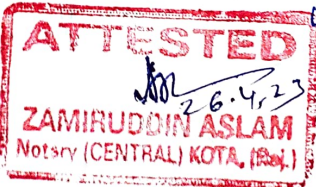


जो कि हमारे स्वयं के खाते, कब्जे काशत की आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 0.2400 हैक्टर मे से 0.1600 हैक्टर व खसरा नम्बर 493 रकबा 2.0300 हैक्टर मे से 1.6400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.2700 हैक्टर मे से 1.8000 हैक्टर आराजी वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का नांदना उर्फ बडगांव भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान मे स्थित है। उक्त आराजी कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ-15/कृ.भू.रू./90-ए/2016/307 के अन्तर्गत एफ-15/कृ.भू.रू.रूपान्तरण/90-ए 2016/142-145 दिनांक 18 अप्रैल 2016 से भूमि परिवर्तन (आवासीय) भूमि मे परिर्तित की जा चुकी है तथा जिसके संदर्भ मे नगर विकास न्यास कोटा द्वारा ले आउट प्लान उक्त आराजी भूमि के संदर्भ मे जारी किया हुआ है तथा भूमि हमारे द्वारा कही पर भी रहन, बैय, दान की हुई नहीं है तथा पूरी तरह से पाक व साफ है जिसके संदर्भ मे समस्त अधिकार मे प्राप्त है।

यह कि हम मुकिरान अपने अन्य कार्यों मे अत्यधिक व्यस्त रहते है और उक्त आराजी बाबत जो समय समय पर कार्यवाहीया करना होती है उन्हे किये जाने का समय नहीं मिल पाता है इसलिए हम मुकिरान उक्त आराजी आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 0.2400 हैक्टर मे से 0.1600 हैक्टर व खसरा नम्बर 493 रकबा 2.0300 हैक्टर मे से 1.6400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.2700 हैक्टर मे से 1.8000 हैक्टर आराजी वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का नांदना उर्फ बडगांव भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान बाबत समस्त कार्यवाहीयां करने हेतु अपनी ओर से श्री मुर्तजा उम्र 50 वर्ष पुत्र जाफर अली जाति बोहरा मुसलमान निवासी बोहरा मोहल्ला, टिपटा, कोटा राजस्थान को अपना मुख्तार आम नियुक्त करते है और लिखे देते है कि मुख्तार आम उक्त आराजी बाबत किसी भी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय आदि मे पत्र व्यवहार करे, प्रार्थना पत्र देवे, हमारी ओर से अपने हस्ताक्षर करे, एन ओ सी प्राप्त करे, मानचित्र पास करवाये, जमीन को भूभागो मे विभक्त करे, किसी भी प्रकार से



हस्ताक्षर मुकिरान



Signature

Signature

कन्वर्ट करवाने (किस्म बदलवाने) का अधिकार, कृषि भूमि रूपान्तरण का अधिकार, ले आउट स्वीकृत करवाये, स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाहियां करनी आवश्यक हो उन्हें करे, कन्वर्शन चार्जज जमा करवाये, कन्वर्ट करवाये, निर्माण करवाये, नल बिजली आदि के कनेक्शन प्राप्त करे, उक्त भूमि में बनाये गये भूखण्डों का विक्रय करे, विक्रय राशि प्राप्त करे, खरीदार को कब्जा सम्मलावे, विक्रय पत्र का पंजीयन करावे, किसी भी वाद विवाद को हो जाने पर सुलझावे, कानूनी कार्यवाहियां करे, वकील नियुक्त करे, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, दावा, जवाब दावा, अपील, राजीनामा आदि करे। यानि कि मुख्तार आम उक्त आराजी बाबत वह समस्त कार्यवाहियां करे जिन्हें किये जाने का हमको पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि मुख्तार आम को उक्त आराजी बाबत वह समस्त अधिकार हासिल होंगे जो कि आज दिन तक हम मुकिरान को प्राप्त है तथा हमारे द्वारा नियुक्त किये गये उक्त मुख्तार नामा आम द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां हमारे द्वारा ही की गई समझी जावेगी।

यह मुख्तार नामा आम निरस्तनीय है।

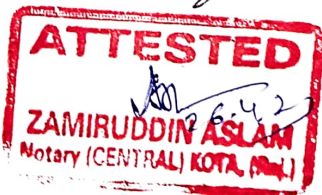
लिहाजा यह मुख्तार नामा आम हमने पूर्ण होश हवास स्वस्थ चित्त बिना किसी नशे पत्ते के रुबरु गवाहान के समक्ष स्टाम्प कीमती 500/-रुपये व 150/-रुपये सरचार्ज कुल 650/-रुपये पर आलेखित कर दिया है जो कि समनद रहे समय पर काम आवे तहसील तारीख-26/04/2023



गवाह

गवाह

हस्ताक्षर मुकिरान



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

न्यायालय कलक्टर(मुद्रांक) वृत्त कोटा

क्रमांक: 32 .

दिनांक: 04/01/2024 .

—: प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2024 निर्णय दिनांक 03-01-2024 अन्तर्गत इस मुख्तारनामा आम में अंकित आराजी खसरा नं० 492 रकबा 0.2400 है० में से 0.1600 है० व खसरा नं० 493 रकबा 2.03 है० में से 1.6400 है० कुल किता 2 रकबा 2.2700 है० में से 1.8 है० आराजी वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का नांदना उर्फ बडगांव, भू० अभि० नि० क्षेत्र लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज में मुर्तजा आत्मज श्री जाफर अली जाति बोहरा निवासी बोहरा मोहल्ला, टिपटा, कोटा राज० की सम्पत्ति की मालियत 11,44,75,680 रु० निर्धारित की गई है। जिस पर कमी मुद्रांक कर 5,72,380 रु० कमी आधारभूत सरचार्ज 57,238 रु० कमी गौ संवर्धन सरचार्ज 57238 रु०, कमी प्राकृतिक आपदा शुल्क 57,238 रु०, एडज्यूडिकेशन फीस 500/- कुल 7,44,594 रु० देय बनती है। अप्रार्थी द्वारा जरिये रसीद नं. 202402123000315 दिनांक 04-01-2024 कार्यालय उपपंजीयक कोटा प्रथम में कमी मुद्रांक कर 5,72,380 रु० कमी सरचार्ज, गौ संवर्धन सरचार्ज, व प्राकृतिक आपदा शुल्क 1,71,714 रु० व एडज्यूडिकेशन फीस 500/- व नियमानुसार ब्याज राशि 66900/- कुल 8,11,494 रु० जमा करवा दिये गये है। अतः इस मुख्तारनामा आम को पूर्ण मुद्रांकित से प्रमाणित किया जाता है।

नोट : इस दस्तावेज में अंकित सम्पत्ति के टाइटल की वैधानिकता की जांच नहीं की गई है।

कलक्टर मुद्रांक
वृत्त कोटा



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामनगर

पटवार हल्का :- नान्दना उर्फ बडंगाव

भू.अभि.नि. :- सकतपुर

तहसील :- लाडपुरा

जिला :- कोटा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2072 - 2075 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 157

खाता संख्या पुराना :- 3

काश्तकार का नाम:-

1. नगर विकास न्यास कोटा (90-क) हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिये,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
104	0.0700	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0700	चा.नं.108	स्वीकृत नामांतरकरण : 359 17/04/2023न्याया. आदेश	
107	0.0600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0600	चा.नं.108	स्वीकृत नामांतरकरण : 361 16/08/2023न्याया. आदेश	
111	0.0700	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0700	चा.नं.108	स्वीकृत नामांतरकरण : 367 30/10/2023न्याया. आदेश	
112	0.0800	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0800	चा.नं.108	स्वीकृत नामांतरकरण : 375 05/06/2024न्याया. आदेश	
113	0.2200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2200	चा.नं.108		
114	0.0800	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0800	चा.नं.108		
115	0.0600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0600	चा.नं.108		
118	0.3800	चाही प्रथम	0.3800	चा.नं.108		
125/8	0.5700	नहरी प्रथम	0.5700			
335	0.3200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.3200			
490	0.3500	आवासीय	0.3500			
579/123	0.9928	चाही द्वितीय	0.9928			
606/492	0.1600	आवासीय	0.1600			
607/493	1.6400	आवासीय	1.6400			
635/140	0.1600	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्पा)	0.1600	चा.नं.138		
636/110	0.3250	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.3250	चा.नं.108		
637/110	0.7150	चाही प्रथम	0.7150	चा.नं.108		
638/116	0.0700	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0700	चा.नं.108		
639/116	0.1000	चाही प्रथम	0.1000	चा.नं.108		
640/117	0.0800	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0800	चा.नं.108		
641/117	0.1400	चाही प्रथम	0.1400	चा.नं.108		



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामनगर
पटवार हल्का :- नान्दना उर्फ बडंगाव
भू.अभि.नि. :- सकतपुर
तहसील :- लाडपुरा
जिला :- कोटा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2072 - 2075 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 157
खाता संख्या पुराना :- 3

642/119	0.2200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2200	चा.नं.108
643/119	0.4300	चाही प्रथम	0.4300 17.20	चा.नं.108
648/103	0.1700	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1700	चा.नं.108
650/105	0.0100	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0100	चा.नं.108
652/106	0.0200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0200	चा.नं.108
654/109	0.0750	गै.मु.आबादी	0.0750	
660/333	0.7200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.7200	
662/356	0.1400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1400	
664/357	0.1900	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1900	
666/358	0.2100	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2100	
668/645	0.1000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1000	
कुल खसरे - 32 8.9278			8.9278 120.6100	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 7-Nov-2024

